न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

PBR/निगरानी/रतलाम/भू.रा/2018/2132

श्रीमति आशा पति दिलीप अग्रवाल
97, धानमंडी, रतलाम म.प्र. — — प्रार्थीया

विरूद्ध

1–राजेन्द्र कुमार पिता केशरीमल मेहता
निवासी–84, मेहता सदन स्टेशन रोड रतलाम
(मूल प्रकरण में प्रार्थी है)
2–नरेन्द्र कुमार पिता सौभाग्यमलजी गादीया
निवासी 135, चांदनीचोक, रतलाम म.प्र. — — प्रतिप्रार्थीगण
(मूल प्रकरण में प्रतिप्रार्थी क.2 है।)

— रिवीजन अंतर्गत धारा 50 भू.रा.सं. —

मान्यवर महोदय

मै प्रार्थीया विद्धान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय टप्पा मुंदडी तहसील रतलाम (श्री गोयल) द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 5–2–2018 से असन्तुष्ठ होकर अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्न आधारो पर उपरोक्त निगरानी प्रस्तुत है :–

— प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य —

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी राजेन्द्र कुमार पिता श्री केशरीमलजी मेहता निवासी 84 मेहता सदन स्टेशन रोड रतलाम ने एक आवेदन पत्र म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अन्तर्गत पेश र ग्राम खाराखेडी की भूमि सर्वे कमांक 35/7 रकबा 0–400 हेक्टर परिवर्तित भूमि प्रार्थी के नाम से भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है उक्त भूमि का राजस्व निरीक्षक वृत 5, मूंदडी द्वारा सीमांकन दिनांक 24–12–2016 को विधिवत पडोसी कृषको के सामने सीमांकन कर प्रतिवेदन पेश किया गया था जिसमें प्रार्थी की भूमि में से दक्षिण दिशा में 5 कडी की चोडाई में एवं उत्तर दिशा की ओर 4 कडी की चोडाई की भूमि आती है प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 35/7 रकबा 0–400 हेक्टर पेट्रोल पम्प हेतु व्यपवर्तित भूमि पर से पडोसी कृषको द्वारा किया गया अवेध कब्जा हटाने के लिए प्रतिप्रार्थीगण के विरूद्ध आवेदन पत्र पेश किया था । प्रकरण दर्ज

XXIX(a)-BR(H)-11

328

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2018/2132

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-१-१५ को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	